न्यायालय सहायक कलक्टर(फा0ट्रे0) मुण्डावर अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :– पंकज बडगूजर (आर.ए.एस)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
677 / 2020	29.10.2020	11.01..2023

//उनवान//

1 मातादीन पुत्र बिडदाराम जाति अहीर निवासी ततारपुर तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

:– वादी

बनाम

1 गोरधन पुत्र सूण्डाराम जाति गुर्जर निवासी भग्गुका बास तह0 बानसूर जिला अलवर
2 फूलवती देवी पत्नि सुल्तान सिंह जाति जाट निवासी खौड तह0 पटौदी जिला गुडगांव, हरि0।
3 श्रीमान उपं पंजीयक महोदय, मुण्डावर तह0 मुण्डावर जिला अलवर
4 श्रीमान तहसीलदार महोदय, लैण्ड होल्डर तह0 मुण्डावर जिला अलवर

प्रतिवादीगण

दावा – इश्तकरारहक मय दुरूस्ती मय इन्द्राज
अन्तर्गत धारा– 88, 89,188 राज0 काश्त0 अधि0

उपस्थितिः– श्री पृथ्वीसिंह – वकील वादी

निर्णय दिनांक– 11.01.2023

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील वादी उपस्थित आये। वादी के वाद का सारतः रहा कि आराजी ख0नं0 926/1.04 है0 वाके ग्राम ततारपुर तहसील मुण्डावर में स्थित होकर विवादित आराजी कहलायेगी। विवादित आराजी का 25/208 हिस्सा रकबा 0.1250 है0 वादी ने जरिये बैयनामा दिनांक 06.07.2009 को प्रतिवादी नं0 1 को मुबलिग 183130/रुपये अदा करते हुये खरीद किया था एवं वक्त खरीद से ही खरीदशुदा आराजी पर कब्जा ले लिया था जो आज तक बिना किसी एतराज के शांतिपूर्वक काबिज काश्त है। विक्रेता प्रतिवादी नं0 1 ने प्रतिवादी सं0 2 से दिनांक 01.05.2008 को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीद किया था, मिन वादी ने जब प्रतिवादी सं0 1 से बैयनामा कराया उस समय विक्रेता प्रतिवादी सं0 1 गोरधन रजिस्टर्ड बैयनामा के आधार पर काबिज काश्त था, कानूनन प्रतिवादी सं0 1 को खातेदार काश्तकारी बाबत राईट एंड टाईटल प्राप्त हो चुके थे तथा आराजी को विक्रय करने का अधिकार प्राप्त हो चुका था इस आधार पर विक्रेता प्रतिवादी सं0 1 ने मिन वादी के पक्ष में रजिस्टर्ड बैयनामा कराया जो बैयनामा कराने के बाद मिन वादी ने इन्तकाल दर्ज करने व रिकॉर्ड अमल दरामद करने के लिए हल्का पटवारी ततारपुर को दे दिया, चूंकि मिन वादी अनपढ़ ग्रामीण व्यक्ति है जानकारी नहीं हो पाई की खरीदशुदा जमीन के आधार पर जमाबंदी में नाम दर्ज हुआ है या नहीं लेकिन वादी को जब रुपयों की जरूरत पड़ी तो दिनांक 13.12.2019 को के.सी.सी. की फाईल बनवाने के लिए हल्का पटवारी से संपर्क किया तो हाल हल्का पटवारी ने जमाबंदी में नाम नहीं होना

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज0

बताया उस दिन वादी को पहली बार जानकारी हुई आदि–आदि अंकित करते हुये अंकित किया कि राजस्व रिकॉर्ड बैयनामा दिनांक 01.05.2008 व 06.07.2009 का अमल नहीं आने से पूर्व विक्रेता प्रतिवादी सं0 2 फूलवती पत्नि सुल्तानसिंह के नाम का ही अमल चल रहा है जो खिलाफ मौका व खिलाफ कानून है प्रतिवादी सं0 2 का आराजी से कोई संबंध व सरौकार नहीं है, प्रतिवादी सं0 1 व 2 गलत एंट्री के आधार पर मिन वादी के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार की मजाहमत, मदाखलत पैदा ना करे। मिन वादी विवादित आराजी के बैयनामा दिनांक 06.07.2009 के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अधिकारी है अंकित करते हुये वाद वादी बरखिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री इश्तकरारहक मय दूरुस्ती इस प्रकार पारित की जाकर विवादित आराजी के बाबत मिन वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा विवादित आराजी के रिकॉर्ड में प्रतिवादी सं0 2 के दर्ज नाम को हजफ कर राजस्व रिकॉर्ड दूरुस्त फरमाया जाने व प्रतिवादीगण को डिक्री हु0ई0 दवामी से पाबंद किया जाने का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की बाद विधिवत तलबी प्रतिवादी सं0 1 की ओर से पैरोकार सरकार ने जवाब पैरोकार पेश किया जो शामिल पत्रावली है मुताबिक जवाब पैरोकार बिन्दूवार वादी स्वयं सिद्ध करे अंकित कर पेश होकर शामिल पत्रावली है एवं प्रतिवादी सं0 1, 2, 3 बावजूद विधिवत सूचना अनुपस्थित रहने की स्थिति में उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी ने अपने वादपत्र की ताईद में दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप नकल जमाबंदी सम्वत् 2071–74, बैयनामा दिनांक 06.07.2009, बैयनाम दिनांक 01.05.2008 किता 2 की छाया प्रतियां, ग्राम पंचायत ततारपुर द्वारा दिनांक 08.01.2023 में जारी खसरा नम्बर 226 में मातादीन पुत्र बिडदाराम जाति अहीर का 1/2 बीघा में कब्जा होने एवं उक्त आराजी में इनके मकान बने होने के बाबत का प्रमाणपत्र एवं मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथपत्र मातादीन पुत्र बिडदाराम पीडब्ल्यू–1 पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

वकील वादी की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वादी के वादपत्र के जिम्मनों को दौहराते हुये अभिकथन किया कि विवादित आराजी का 25/208 हिस्सा रकबा 0.1250 है0 वादी ने जरिये बैयनामा दिनांक 06.07.2009 को प्रतिवादी नं0 1 को मुबलिग 183130/रुपये अदा करते हुये खरीद किया था एवं वक्त खरीद से ही खरीदशुदा आराजी पर कब्जा ले लिया था जो आज तक बिना किसी एतराज के शांतिपूर्वक काबिज काश्त है। विक्रेता प्रतिवादी नं0 1 ने प्रतिवादी सं0 2 से दिनांक 01.05.2008 को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीद किया था, वादी ने जब प्रतिवादी सं0 1 से बैयनामा कराया उस समय विक्रेता प्रतिवादी सं0 1 गोरधन अपने रजिस्टर्ड बैयनामा के आधार पर काबिज काश्त था, कानूनन प्रतिवादी सं0 1 को खातेदारी काश्तकारी बाबत राईट एंड टाईटल प्राप्त हो चुके थे तथा आराजी को विक्रय करने का अधिकार प्राप्त हो चुका था इस आधार पर विक्रेता प्रतिवादी सं0 1 ने वादी के पक्ष में रजिस्टर्ड बैयनामा कराया जो बैयनामा कराने के बाद वादी ने इन्तकाल दर्ज करने व रिकॉर्ड अमल दरामद करने के लिए हल्का पटवारी ततारपुर को दे दिया था, चूंकि वादी अनपढ़ ग्रामीण व्यक्ति है जानकारी नहीं हो पाई की खरीदशुदा जमीन के आधार पर जमाबंदी में नाम दर्ज हुआ है या नहीं लेकिन वादी को जब रुपयों की जरूरत पड़ी तो दिनांक 13.12.2019 को के.सी.सी. की फाईल बनवाने के लिए हल्का पटवारी से संपर्क किया तो हाल हल्का पटवारी ने जमाबंदी में नाम नहीं होना बताया। इस प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में बैयनामा दिनांक 01.05.2008 व 06.07.2009 का अमल नहीं आने से पूर्व विक्रेता प्रतिवादी सं0 2 फूलवती पत्नि सुल्तानसिंह के नाम का ही अमल चल रहा है जो खिलाफ मौका व खिलाफ कानून है प्रतिवादी सं0 2 का आराजी से कोई संबंध व सरौकार नहीं है। वादी द्वारा अपने वादपत्र की ताईद में दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप नकल जमाबंदी सम्वत् 2071–74, बैयनामा दिनांक 06.07.2009, बैयनामा दिनांक 01.05.2008 किता

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर)

2 की छाया प्रतियां, ग्राम पंचायत ततारपुर द्वारा दिनांक 08.01.2023 में जारी खसरा नम्बर 926 में मातादीन पुत्र बिडदाराम जाति अहीर का 1/2 बीघा में कब्जा होने एवं उक्त आराजी में इनके मकान बने होने के बाबत का प्रमाणपत्र एवं मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथपत्र मातादीन पुत्र बिडदाराम पीडब्ल्यू–1, पेश किया है जो शामिल पत्रावली है इस प्रकार से वादी ने अपने वादपत्र को पूर्णरूप से साबित कर दिया है अभिकथन करते हुये वादी के वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया व प्रतिवादी सं0 1 व 2 को पाबंद किया जावे कि वे गलत एंट्री के आधार पर वादी के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार की मजाहमत, मदाखलत पैदा ना करे।

वकील वादी की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई तथा पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात के गहनता से अवलोकन उपरांत उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी के वाद को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में हाल आराजी ख0नं0 926/1.04 है0 वाके ग्राम ततारपुर के 25/208 हिस्सा रकबा 0.1250 है0 के बाबत के वादी के वाद को डिक्री किया जाता है एवं हाल राजस्व रिकॉर्ड में वादी के हिस्से आराजी की हद तक प्रतिवादी सं0 2 फूलवती देवी के नाम के हो रहे अंकन को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा फूलवती के स्थान पर वादी मातादीन के नाम का अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं व प्रतिवादीगण को हु0ई0 दवामी से पाबंद किया जाता है कि वे गलत इन्द्राज के आधार पर विवादित आराजी को कही रहन, बय, हिबा आदि प्रकार से मुन्तकिल ना करे ना ही वादी के काश्त कार्य में मजाहमत ही पैदा करे। पाबंद रहे। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक **11.01.2023** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

11-01-2023

सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर) राज0

(पंकज बडगूजर)
न्यायालय सहायक कलक्टर(फा0ट्रे0)
मुण्डावर अलवर, राज0

वास्ते ~~छ~~ इस्तगासा पेश
हो

09/01/23 पत्रावली पेश हुई। आज बार संघ, मुजफ्फर द्वारा काम स्थगन किए जाने का ज्ञापन दिया है। पत्रावली वास्ते आदेशिकानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 10/01/23 को पेश हो।

रीडर

10/1/23 आज पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० आदेश प्रतीक्षारत दिनांक 11/01/23 को पेश हो।

11/01/23 आज पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० आदेश/प्रार्थीया की इस्तगासा पत्रावली आज डिक्री कर निर्णीत की जा चुकी है इसलिए लिहाजा इसमें अग्रिम कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रॉप कर स्वीकार कर निर्णीत की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो। नम्बर से कम हो बाद तकमील मिसलबंद मूल दाखिल रहे। सुनाया गया।